



**CSIR- INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL
TECHONOLOGY**
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
HYDERABAD



No. CR/APAR/PR/2023

Dated: 01.Jan.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Submission of Annual Property Returns for the year ending 2023 by Group 'A' & 'B' officers under Rule 18(1)(ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 - Reg.

Ref : CSIR letter No.15-4/33/85-O&M(Vol. IV) dated 21 December 2023.

In accordance with Clause (ii) of Rules 18(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964, as made applicable to the employees of CSIR, every Council Servant holding Group A or B post is required to submit the complete Annual Immovable Property details for the year 2023 giving full particulars regarding the Immovable Property inherited/ owned/ acquired or held by him / her on lease or mortgaged either in his / her own name or in the name of any member of his/ her family OR in the name of any other person.

Further in pursuance of CSIR Letter No. 15-4/33/85-O&M(Vol. IV) dated 21 December 2023 all the Group A and Group B officers [**Group A: Post carrying the pay in the Pay Matrix at Level from 10 to 18 & Group B: Post carrying the pay in the Pay Matrix at Level from 6 to 9**] should submit their APRs latest by **31.01.2024** in CR/APAR Section (Room No. A213) without fail

However the following points may be noted before filing the APR :

- (i) All staff members of the above said categories are required to submit a property return statement even if they do not possess any immovable property stating that "**DOES NOT POSSESS ANY IMMOVABLE PROPERTY**" in the return.
- (ii) Though there is no acquisition of immovable property during the calendar year 2023, the members of staff are required to furnish full particulars of the **Immovable Property Returns held by them as on the date of 31.12.2022** instead of recording as " SAME AS LAST YEAR / NO CHANGE / SAME AS BEFORE".
- (iii) In case the staff member possesses any immovable property during the calendar year 2023, he/she is required to give a complete list of properties acquired upto 31.12.2023.

Further more all Group A & Group B officer may make note of the contents of DOPT OM dated 27.09.2011 endorsed by CSIR vide letter dated 15.01.2013 wherein it is stated that **VIGILANCE CLEARANCE SHALL BE DENIED IN CASE APR IS NOT SUBMITTED WITHIN THE STIPULATED TIME.**

Note:- Property Return Forms can be downloaded from "Adminalchemy".


(M. Ananda Kumar)
Controller of Administration

Copy to:

- Adminalchemy



सं : सीआर/अपार/पीआर/2023

दिनांक: 01. जनवरी 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 18(1)(ii) के तहत समूह क तथा ख के अधिकारियों द्वारा वर्ष हेतु संपत्ति विवरणों का प्रस्तुतीकरण - प्रमाण पत्र भेजने हेतु।
संदर्भ: सीएसआईआर पत्र संख्या 15-4/33/85 - का. जा. (खंड IV) दिनांक 21-दिसंबर-2023।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों को वर्ष 2023 का वार्षिक अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना है। उसे विरासत में मिली/स्वामित्व वाली/अर्जित या उसके द्वारा पट्टे पर रखी गई या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत करना है।

सीएसआईआर के पत्र संख्या 15-4/33/85 - का. जा. (वॉल्यूम IV) दिनांक 21.12.2021 के अनुसरण में सभी ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी [ग्रुप ए : Pay Matrix लेवल 10 से लेवल 18 और समूह ग्रुप बी: Pay Matrix लेवल 6 से लेवल 9] को अपना एपीआर 31.जनवरी.2024 तक सीआर/अपार अनुभाग (Room No. 213) में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें मुख्यालय भेजा जा सके।

A.P.R. दाखिल करने से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान करें :

- उपरोक्त पदधारियों में से यदि किसी के पास अचल संपत्ति नहीं है, फिर भी उन्हें "उन्होंने कोई अचल संपत्ति प्राप्त नहीं की है" विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- कैलंडर वर्ष 2023 के दौरान कोई संपत्ति नहीं प्राप्त करने की स्थिति में " पिछले वर्ष की तरह ही" लिखने के जगह कैलंडर वर्ष 2022 के अंत तक प्राप्त कुल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा
- कैलंडर वर्ष 2023 में संपत्ति प्राप्त करने की स्थिति में दिनांक 31.12.2023 तक अधिकारी के द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, सभी ग्रुप ए व ग्रुप बी के अधिकारी यह नोट करे जो DoPT OM दिनांक 27.09.2011 में लिखा है तथा जिसे सीएसआईआर ने अपने पत्र दिनांक 15.01.2013 द्वारा पृष्ठांकित किया, जिसमें यह बताया गया है कि यदि A.P.R. नियत समय पर प्रस्तुत नहीं की गई तो सतर्कता समाशोधन के लिए मना किया जाएगा।

नोट:- संपत्ति रिटर्न फॉर्म "एडमिन्सलकेमी" से डाउनलोड किया जा सकता है।

(एम आनंद कुमार)
प्रशासन नियंत्रक